पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी तत्काल प्रभाव से निलम्बित

मा0 प्रधानमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने व राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की नीतियों की आलोचना तथा भावी विधायक के रूप में दर्शाने एवं बिना सूचना के गायब रहने के कारण किया गया निलम्बित

लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर 2020

श्री प्रवीण कुमार अवर अभियन्ता (यांत्रिक) नलकूप खण्ड–प्रथम, जनपद वाराणसी को अपने फेसबुक वाल पर मा0 प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अमर्यादित टिप्पणी करने, राजनीतिक दलों के साथ फोटो शेयर, फेसबुक पर चकिया विधान सभा के भावी विधायक के रूप में फोटो शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार की नीतियों का विरोध एवं 26 अगस्त 2020 से बिना सूचना व अवकाश के अनुपस्थित रहने तथा मुख्य अभियन्ता, नलकूप वाराणसी तथा जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा निलम्बित करने की संस्तुति के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) श्री देवेन्द्र अग्रवाल की ओर से आज 12 सितम्बर 2020 को निलम्बन आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही श्री प्रवीण कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित करते हुए निलम्बन की अवधि में उन्हें मेरठ कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

सम्पर्क सूत्र : केवल

राम यतन /04:**20 PM**

फोन नम्बर Direct : 0522 2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522 2239132 33 34 35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522 2237230 0522 2239586 ई–मेल : information_up ,oa yahoo.co.in
वेबसाइट : www.information.up.nic.in